ज्ञानविविधा
कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की सहकर्मी-समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका

ISSN : 3048-4537(Online)
3049-2327(Print)
IIFS Impact Factor-2.25
Vol.-2; Issue-2 (Apr.-June) 2025
Page No.- 12-20
©2025 Gyanvividha
https://journal.gyanvividha.com

डॉ. ऋचा यादव
सहायक प्राध्यापक, सामाजिक विज्ञान विभाग (समाजशास्त्र), डॉ.सी.व्ही. रमन् विश्वविद्यालय, करगी रोड़ कोटा, बिलासपुर (छ.ग.).

रोशनी वासनिक
शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा बिलासपुर (छ.ग.).

Corresponding Author :

डॉ. ऋचा यादव
सहायक प्राध्यापक, सामाजिक विज्ञान विभाग (समाजशास्त्र), डॉ.सी.व्ही. रमन् विश्वविद्यालय, करगी रोड़ कोटा, बिलासपुर (छ.ग.).

बढ़ता महिला अपराध – छत्तीसगढ के सन्दर्भ में एक अध्ययन

सार : नारी शक्ति प्रकृति की अनुपम देन है। त्याग व तपस्या की मूर्ति, जिसके चरणों के आगे आज सारा संसार नतमस्तक है। देवताओं ने भी जिनके चरणों में शीश झुकाया है। एक सर्वगुण संपन्न अद्भुत कला की देवी जो विभिन्न रूपों में समाज में अपनी भूमिका अदा कर रही है। नर और नारायणी सृष्टि के दो रुप ऐसे है , सृष्टि का निर्माण, इन्हीं दो बिन्दुओं के आधार पर हुआ। पुरुष के साथ-साथ नारी का जन्म भी कई रूपों में हुआ तथा जब-जब सृष्टि का विनाश करने के लिए दानवों ने तांडव रचा है, तब-तब इन दानवों का विनाश करने के लिए नारी शक्ति देवी के रूप में अवतरित हुई। प्राचीनकाल से ही नारियों की पूजा होती आ रही है तथा हर एक कार्य में नारियों की भूमिका अग्रणी रही है, परंतु पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण हमारी सभ्यता व संस्कृति में अनेक परिवर्तन हुए हैं, जिसे आधुनिकीकरण के नाम से जाना जाता है। परिवर्तन के इस दौर में महिलाएं भी पुरुषों के समान है। इसी समाज में जहां एक ओर नारी शक्ति की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर क्या ऐसे कारण हैं, जो महिलाओं को अपराध करने में विवश हैं? आखिर, अपराध की उपज कहां से होती है? यह प्रश्न हमारे समाज के सामने चुनौती लिए खड़ा है।

मुख्य शब्द: महिला, अपराध, पश्चिमीकरण, सामाजिक, परंपराओं।

प्रस्तावना : महिला अपराध के संदर्भ में यदि हम विचार करें तो उनकी अपराधिक छवि का सबसे मुख्य कारण उनकी पारिवारिक व आर्थिक पृष्ठभूमि है। पैसों की कमी की वजह से वह गंभीर अपराधों में संलग्न हो जाती है, जब महिलाएं समाज द्वारा उपेक्षित की जाती है, तब वह अपराध कर बैठतीं हैं। महिलाएं विभिन्न प्रकार के अपराधों में संलग्न पाई जाती हैं, जिसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अपराध उनकी विपरीत मानसिक दशा का द्योतक है अर्थात् विपरीत परिस्थितियां ही महिलाओं को अपराध के लिए मजबूर करती है। इससे पहले कि हम महिला अपराध के कारणों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करें। उन सामान्य कारणों को संक्षेप में प्रस्तुत करना उचित होगा, जो कि अब तक अपराध के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। अपराध के अनेक प्रकार के होते हैं। इसलिए अपराध के आधार पर अपराध के कारण भी भिन्न-भिन्न होते हैं। वास्तव में अपराध के लिए किसी एक कारण को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

अध्ययन का महत्व : पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अपराध की दर बहुत कम पाई जाती है। आज भारत में प्रति एक लाख व्यक्तियों में 180 व्यक्ति अपराधी हैं। परन्तु पुरुषों की तुलना में महिला अपराधियों का प्रतिशत 4 से भी कम है। यद्यपि अपराधी महिलाओं की संख्या पुरुष अपराधियों से कम है,परन्तु पिछले तीन दशकों में महिला अपराधियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। सामाजिक प्रक्रियायें गतिशील है तथा वर्तमान् समय में हमारे समाज में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं । सामाजिक रीति-रिवाज, मूल्य, नियम, आदर्श तथा संस्कृति आदि सभी बदल रही है और फिर देखा जाये तो अपराध का सीधा संबंध समाज से होता है । अर्थात् समाज अपराध का उत्तरदायी होता है। समाज जब परिवर्तन की प्रक्रिया से होकर गुजरता है, तब प्राचीन मूल्यों व आदर्शों तथा नवीन आदर्शों व मूल्यों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विशेषकर महिलायें इस असमायोजन की अधिक शिकार हो जाती है । इसी असमायोजन के कारण महिलायें अपराध की ओर प्रवृत्त होती है और अधिकाधिक अपराध। अतः महिलाओं में बढ़ते अपराध को देखकर यह जानना अतिआवश्यक है कि कौन सी ऐसी मूल प्रवृतियां है जो महिलाओं को अपराध करने में विवश करती है। कई मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों , मानवशास्त्रियों व अपराध शास्त्रियों ने इस विषय पर अनुसंधान किये व भिन्न-भिन्न विचार प्रस्तुत किए है। इस अध्ययन का महत्व इसलिए अधिक है कि नवीन तथ्य सबके सामने स्पष्ट हो सके कि किन कारणों से महिलाएँ अपराधी बनती है, उन्हें रोकने के क्या उपाय है तथा उन्हें किस प्रकार अपराध करने से दूर रखा जा सकता है। ऐसे अध्ययनों से पहले हुए अध्ययनों के निष्कर्षों की सार्थकर्ता का भी पता चल जाता है।

अध्ययन क्षेत्र : प्रस्तावित अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत रायपुर नगर निगम का चुनाव किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार रायपुर नगर निगम की कुल जनसंख्या 11,22,555 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 578,339 तथा स्त्रियों की संध्या 554,216 है। यहां का लिंगानुपात 941 महिलाओं में प्रति 1000 पुरुषों का है। रायपुर नगर में कुल वार्डों की संख्या 70 है जो कि 8 जोनों में विभाजित है तथा क्रमशः वार्ड क्रमांक 9, 27, 30, 34, 64, 62, 58

स्लम एरिया वाले वार्ड हैं।

अध्ययन के उपकरण : प्रस्तुत शोध विषय बढ़ता महिला अपराध कारण व प्रभाव का अध्ययन करने हेतु अध्ययन उपकरण के रूप में सर्वेक्षण, अवलोकन, साक्षात्कार अनुसूची तथा निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया है, जिसके प्रयोग द्वारा यह शोध कार्य सरलतापूर्वक संपादित हो सका है।

1.सामाजिक सर्वेक्षण

2. असहभागी अवलोकन

3.साक्षात्कार अनुसूची

प्रतिदर्श चयन : इस शोध परियोजना में शोध का अध्ययन क्षेत्र रायपुर नगर निगम के अंतर्गत सेंट्रल जेल (महिला प्रकोष्ठ) है। यहां 200 के लगभग महिला अपराधी है जिसमें से 97 महिला सजायाफ्ता तथा 103 महिला विचाराधीन कैदी है, जहां शोधकर्ता ने अपने अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 50 महिला अपराधियों का चयन किया। इस अध्ययन में 25 शिक्षित तथा 25 अशिक्षित अपराधी महिलाओं का साक्षात्कार हेतु चयन किया गया।

प्रतिदर्श विधि - उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श विधि

अध्ययन के परिणाम

- **सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर**

प्रस्तुत शोध महिला अपराध से संबंधित है अतः सामाजिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत समाज के लोगो का उत्तरदाताओ के प्रति व्यवहार का अध्ययन करना आवश्यक है।

1**.** उत्तदाताओं के प्रति समाज के लोगों का व्यवहार

अध्ययनगत् समूह में 58 प्रतिशत उत्तरदाता अपराधी महिलाओं के प्रति समाज के लोगों का व्यवहार अच्छा है। 12 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाएँ यह मानती हैं कि समाज के लोगों का उनके प्रति व्यवहार बुरा है। 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं के प्रति समाज का सामान्य व्यवहार है तथा 8 प्रतिशत उत्तरदाता के साथ समाज का व्यवहार भेदभावपूर्ण है। अतः वे महिलाएं अधिक अपराध करती हैं जिनके प्रति समाज के लोगों का व्यवहार अच्छा है।

2 . क्या आप सामाजिक रीति रिवाजों और कार्यों में भाग लेते हैं ?

अध्ययनगत समूह में 68 प्रतिशत उत्तरदाता (अपराधी) महिलाएँ सामाजिक रीति-रिवाजों और कार्यों में भाग लेते हैं तथा 32 प्रतिशत उत्तरदाता सामाजिक रीति-रिवाजों और कार्यों में भाग नहीं लेते। अतः उपर्युक्त तालिका के निष्कर्ष से यह निष्कर्ष निकलता है कि अध्ययनगत समूह में अधिकतर महिलाएँ सामाजिक रीति-रिवाजों और कार्यों में भाग लेते हैं।

3 .क्या आप धार्मिक आस्था रखते हैं ?

अध्ययनगत् समूह में 54 प्रतिशत उत्तरदाता (अपराधी महिलाएँ) धर्म के प्रति अत्यंत आस्था रखते हैं। 8 प्रतिशत अपराधी महिलाएँ धर्म/ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखती है तथा 38 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाएं धर्म/ईश्वर के प्रति सामान्य आस्था रखती है।अतः उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अध्ययन गत समूह में सर्वाधिक 54 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाएं धर्म/ईश्वर के प्रति आस्था रखतीं हैं।

4. क्या आप समाज में प्रचलित रूढ़ियों और परंपराओं को मानते हैं?

समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है तथा सभी संबंध आपस में सामान्य नियमों द्वारा बंधे होते हैं। हमारा भारतीय समाज विभिन्न समुदायों व समाज में विभक्त है तथा प्रत्येक समाज के अपने सामाजिक प्रतिमान होते हैं। इन सामाजिक प्रतिमानों रीति-रिवाजों, रूढ़ियों, प्रथाओं और परंपराओं के नियमों को व्यक्ति को मानना आवश्यक होता है। इन नियमों के अभाव में वह समाज विहीन अपना जीवन जीता है। अध्ययनगत् समूह में 68 प्रतिशत उत्तरदाता सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं को मानते हैं तथा 32 प्रतिशत उत्तरदाता सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं को नहीं मानते हैं। अतः उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अध्ययनगत समूह में ज्यादातर महिलाएँ सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं को मानती है फिर भी वह अपराध की ओर अग्रसर है।

- **अपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर**

महिलाएं अनेक प्रकार के अपराधों में संलग्न पाई जाती है। चाहे वह व्यक्तिगत रूप से स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया गया अपराध हो, चाहे सामूहिक रूप से किसी के बहकावे में किया गया अपराध हो, दोनों रूप में महिलाएं अपराध करती हैं। ज्यादातर महिलाएं पुरूषों के साथ मिलकर या उनके बहकावे पर अपराध करती हैं। अध्ययनगत् समूह में 14 प्रतिशत उत्तरदाता अपराधी महिलाएँ चोरी, डकैती जैसे अपराध में संलग्न पाई गई। 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं के द्वारा आत्महत्या के लिए दूसरों को मजबूर किया गया। 44 प्रतिशत महिलाएं हत्या (मर्डर) जैसे जघन्य अपराधों में संलग्न पाई गई। 2 प्रतिशत महिलाएं अपहरण केस में, हत्या की कोशिश केस में, दहेज उत्पीड़न संबंधी मामलों में आरोपी करार दी गई। अतः उपर्युक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अन्य अपराधों की अपेक्षा हत्या जैसे गंभीर अपराधों में महिलाएं ज्यादा संलग्न पाई जाती है।

1.उत्तरदाताओं ने अपराध क्यों किया?

महिला अपराध के संदर्भ में यदि हम विचार करें तो उनकी अपराधिक छवि का सबसे मुख्य कारण उनकी पारिवारिक व आर्थिक पृष्ठभूमि है। अध्ययनगत् समूह में 22 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाएं पारिवारिक विवाद (लड़ाई-झगड़ा) के कारण अपराध करती हैं, 10 प्रतिशत महिलाएं शक के बुनियाद पर अपराध करती है जो महिलाएं मजबूरी या किसी के दबाव में आकर अपराध करती हैं। उनकी संख्या 10 प्रतिशत है। 10 प्रतिशत महिलाएं क्रोध में आकर अपराध करती हैं। 6 प्रतिशत महिलाओं ने लालच व गरीबी के कारण अपराध किया। 8 प्रतिशत महिलाओं ने अवैध संबंधों में संलग्न होने के कारण अपराध किया। 12 प्रतिशत महिलाओं ने अपराध का कारण मानसिक असंतुलन बताया है तथा 4 प्रतिशत महिलाएं आपसी रंजिश, दहेज प्रताड़ना, अनजाने में, अंर्तजातीय विवाह के कारण अपराधिक कृत्यों की ओर अग्रसर हुई।

- **अपराध की प्रेरणा के आधार पर**

प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य के लिए कहीं न कहीं से प्रेरणा अवश्य मिलती है जिसके अनुरूप वह अपने कार्यों का संपादन करता है, ठीक उसी प्रकार अपराध करने की प्रेरणा भी मनुष्य को कहीं न कहीं से मिलती है जिससे प्रेरित होकर वह साधारण से साधारण व महा अपराध कर बैठता है। अध्ययनगत् समूह 24

प्रतिशत उत्तरदाता अपराधी महिलाओं को अपराध की प्रेरणा परिवार से मिली। 14 प्रतिशत महिलाओं को अपराध की प्रेरणा दोस्तों से मिली।

8 प्रतिशत महिलाओं ने आस-पड़ोस से प्रेरित होकर अपराध किया। जिन महिलाओं को मीडिया ने प्रभावित किया उनकी प्रतिशत संख्या 36 प्रतिशत है। 18 प्रतिशत महिलाएं अन्य कारणों से प्रेरित हुई, जिसके कारण उन्होंने अपराध किया। अतःयह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकतम 36 प्रतिशत अपराधी महिलाओं को अपराध की प्रेरणा मीडिया से तथा न्यूतनम 8 प्रतिशत महिलाओं को अपराध की प्रेरणा आसपड़ोस से मिलती है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मीडिया से प्रेरित होकर महिलाएं अधिक अपराध करती हैं।

- **अपराध से संबंधित कानून की जानकारी के आधार पर**

महिला अपराधियों का अध्ययन करने पर यह जानना आवश्यक है कि उनको अपराध से संबंधित कानून की जानकारी है या नहीं। अध्ययनगत् समूह में 26 प्रतिशत उत्तरदाता (अपराधी महिलाओं) को कानून से संबंधित जानकारी है तथा 74 प्रतिशत उत्तरदाता को अपराध से संबंधित कानून की जानकारी नहीं है। अतः उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि वे महिलाएं अधिक अपराध करती है जिनको अपराध से संबंधित कानून की जानकारी नहीं है।

- **मीडिया से संबंधित जानकारी के आधार पर**

1. क्या आप मोबाइल/इंटरनेट का प्रयोग करते हैं?

आधुनिक युग में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विकास इतना तीव्र गति से हुआ है कि समाज के लगभग सभी लोग मोबाइल या इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। अब बात करें महिलाओं की तो वह चाहे कामकाजी महिलाएं हो यह घरेलू महिलाएं लगभग सभी मोबाइल का प्रयोग करती हैं। मोबाइल के प्रयोग के साथ-साथ उन्हें इंटरनेट की भी जानकारी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को देखें तो शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की अपेक्षा कम मोबाइल का प्रयोग करती हैं। अध्ययनगत् समूह में 38 प्रतिशत उत्तरदाता मोबाइल/इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तथा 62 प्रतिशत उत्तरदाता मोबाइल/इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते। अतः उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अध्ययनगत् समूह में वे महिलाएं अपराध करती है जिनको मोबाइल/इंटरनेट की जानकारी नहीं है।

2 . क्या आप टी.वी. देखते हैं ?

अध्ययनगत् समूह में 56 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाएँ बहुधा/प्रायः टी.वी. देखती हैं। 28 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाएँ कभी-कभी टी.वी. देखती हैं,16 प्रतिशत महिलाएँ बहुत ही कम टी.वी. देखती हैं। अतः उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अध्ययरत् समूह में ज्यादातर टी.वी. देखने वाली महिलाओं ने अधिक अपराध किया है।

3. क्या आप अखबार व पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ते हैं?

अखबार मीडिया आ अंग है, जिसे छपाई वाली पत्रकारिता या लिखित पत्रकारिता कहा जाता है। अखबार देश-विदेश या हमारे आस-पास घटित होने वाली घटनाओं के सूचना का माध्यम् है। अखबार

सूचना का वह स्त्रोत है, जिसके द्वारा सूचना किसी व्यक्ति तक पहुँचती है। अध्ययनगत् समूह में 36 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाएँ बहुधा/प्रायः अखबार पढ़ती है। 14 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाएँ कभी-कभी अखबार पढ़ती है, जो बहुत ही कम बार अखबार पढ़ती है, उनकी प्रतिशत संख्या 10 प्रतिशत है तथा 40 प्रतिशत अपराधी महिलाएँ ऐसी हैं, जो अखबार कभी नहीं पढ़ती। अतः उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्वाधिक 40 प्रतिशत महिलाएँ अखबार नहीं पढ़ती तथा सबसे कम 10 प्रतिशत अपराधी महिलाएँ बहुत ही कम बार अखबार पढ़ती है। अतः अध्ययनगत् समूह में जो महिलाएँ अखबार कभी नहीं पढ़ती उन महिलाओं ने अधिक अपराध किए।

4 .क्या पश्चिमी सभ्यता आपको प्रभावित करती हैं ?

समाज एक गतिशील अवधारणा है। वर्तमान समय में समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रियाएं गतिशील हैं। आधुनिकीकरण के साथ-साथ पश्चिमीकरण का भी प्रभाव समाज पर पड़ता है। फलस्वरूप हमारे समाज में सभ्यता व संस्कृति में अनेक परिवर्तन हुए। यह परिवर्तन अनेक नये आयामों को लिए हुए है। अध्ययनगत् समूह में 64 प्रतिशत अपराधी महिलाओं पर पश्चिमीकरण का प्रभाव पड़ता है तथा 56 प्रतिशत उत्तरदाता अपराधी महिलाएं ऐसी है, जिनको पश्चिमी सभ्यता प्रभावित नहीं करती। अतः उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है की वे महिलाएं अधिक अपराध करती है जिन पर पश्चिमीकरण का प्रभाव पड़ता है।

- **बंदी रहने की अवधि में सामाजिक जीवन के आधार पर**

बंदी अवस्था में महिलाओं का अन्य अपराधी महिलाओं के साथ संबंध कैसा है? जेल में अपराधी महिलाओं को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? ये कुछ ऐसे प्रश्न है, जिनके उत्तर हमें कारागार में बंदी अपराधी महिलाओं के बंदी अवस्था में सामाजिक जीवन को समझने में सहायता प्रदान कर सकते हैं।

1.क्या जेल में आपको पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं?

अध्ययनगत समूह में 44 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाएँ कहती हैं कि उसे जेल में पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं तथा 56 प्रतिशत अपराधी महिलाएँ कहती हैं कि उन्हें सुविधाओं का अभाव है।

2. जेल में रहने वाली अन्य अपराधी महिलाओं के साथ संबंध

अध्ययनगत् समूह में 26 प्रतिशत महिलाओं का अन्य अपराधी महिलाओं के साथ संबंध अच्छा है। 16 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं का अन्य अपराधी महिलाओं के साथ संबंध बुरा है तथा 58 प्रतिशत अपराधी महिलाओं का अन्य अपराधी महिलाओं से संबंध सामान्य है। अतः उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि ज्यादातर महिलाओं का अन्य अपराधी महिलाओं के संबंध सामान्य है।

3. क्या आपको जेल में आने के बाद किसी समस्या का सामना करना पड़ा?

बंदी बनाए जाने के बाद कारागार में महिलाओं को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर उन्हें विविध प्रकार की चिंता लगी रहती है

तो उनका बंदी अवस्था में जीवन अच्छा नहीं हो सकता। अध्ययनगत समूह में 46 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं को बच्चों की चिंता है। जिन अपराधी महिलाओं को अपने पति की चिंता है उनकी प्रतिशत संख्या 4 प्रतिशत है। 26 प्रतिशत महिलाआंे को पति व बच्चे दोनों की चिंता है। 6 प्रतिशत अपराधी महिलाओं को अपने माता-पिता की चिंता है। 8 प्रतिशत अपराधी महिलाएं कहती है कि उन्हें वस्त्रों का अभाव है अर्थात् वस्त्रों की चिंता है। 4 प्रतिशत अपराधी महिलाओं को किसी बात की चिंता नहीं है। अतः उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अध्ययनगत् समूह में सर्वाधिक 46 प्रतिशत महिलाओं को बच्चों की चिंता है तथा सबसे कम 4 प्रतिशत अपराधी महिलाएं ऐसी हैं जिनको पति की चिंता है व कोई समस्या नहीं है।

4. अपराधी महिलाओं के प्रति समाज की प्रतिक्रिया क्या है ?

अपराधी चाहे पुरूष हो या महिला वह अपराधी की ही श्रेणी में आता है, इसलिए सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपराधी को दंडित किया जाना जरूरी है। ऐसा करना अपराधिक नियंत्रण हेतु आवश्यक है। समय परिवर्तन के साथ अपराधी के प्रति समाज का दृष्ठिकोण परिवर्तित हो रहा है। अपराधी को बदले की भावना से दण्डित नहीं किया जाना चाहिए। अपराधी को बंदी बनाने के पश्चात् (जेल) अभिरक्षा में उसके साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए ताकि न्यायिक व्यवस्था के प्रति उसका विश्वास बना रहे और जेल से मुक्ति के पश्चात् वह पुनः इस सभ्य समाज में पुर्नस्थापित होकर जीवन-यापन कर सकें।

5. जेल से छूटने के पश्चात् आप कहां रहना चाहेंगे?

अध्ययनगत् समूह में कारागार से छूटने के बाद 44 प्रतिशत अपराधी महिलाएं पति व बच्चों के पास रहना चाहती है। 6 प्रतिशत अपराधी महिलाएँ माता-पिता के साथ रहना चाहती है। 30 प्रतिशत महिलाएँ ऐसी हैं जो अकेली रहना पसंद करेंगी तथा 20 प्रतिशत अपराधी महिलाओं का उत्तर अज्ञात है।अतः उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सर्वाधिक 44 प्रतिशत अपराधी महिलाएं पति व बच्चों के पास रहना चाहंेगी तथा सबसे कम 6 प्रतिशत महिलाएं माता-पिता के साथ रहना चाहेंगी।

6. जेल से छूटने के बाद आप क्या करेंगी?

अध्ययनगत समूह में कारागार से छूटने के बाद 56 प्रतिशत उत्तरदाता अपराधी महिलाएं सामान्य जीवन व्यतीत करेंगी। 8 प्रतिशत महिलाओं ने यह कहा कि वह पुनः अपराध करेगी। 26 प्रतिशत महिलाओं ने यह उत्तर दिया कि इस समय कुछ कहना मुश्किल है तथा 10 प्रतिशत महिलाओं का इस संबंध में उत्तर अज्ञात है। अतः उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अध्ययनगत् समूह में सर्वाधिक 56 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य जीवन व्यतीत करना चाहती हैं तथा सबसे कम 8 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाएं पुनः अपराध करना चाहती है।

7. जेल से छूटने के बाद आप अन्य लोगों से क्या अपेक्षा करती हैं?

अध्ययनगत् समूह में कारागार से छूटने के बाद अपराधी महिलाएं अन्य लोगों से सहानुभूति की अपेक्षा

रखती हैं। 16 प्रतिशत अपराधी महिलाएं यह कहती है कि अन्य लोग उनकी निंदा करेंगे। 10 प्रतिशत अपराधी महिलाओं ने यह कहा कि मुझे अन्य लोगों की कोई चिंता नहीं तथा 24 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं का इस संबंध में उत्तर अज्ञात है। अतः उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अध्ययनगत् समूह में कारागार से छूटने के पश्चात् सर्वाधिक 50 प्रतिशत महिलाएं अन्य लोगों से सहानुभूति की अपेक्षा करती है तथा सबसे कम 10 प्रतिशत महिलाओं ने कहा मुझे अन्य लोगों की कोई चिंता नहीं है।

निष्कर्ष : सर्वेक्षण के दौरान महिला अपराधियों के अपराध की प्रकृति एवं प्रतिमान को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राप्त आकड़ें बताते हैं कि 31 - 40 वर्ष की आयु में अपराध की दर 50 प्रतिशत होती है, वहीं 34 प्रतिशत महिलाएं अनुसूचित जाति की हैं। आकंडे बताते हैं कि 64 प्रतिशत महिलाएं शहरी क्षेत्र से है। अतः शहरी क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं अधिक अपराध करती हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में आधुनिकता का समावेश होता है तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। फलस्वरूप अपराध की दर में भी वृद्धि होती है। यह भी ज्ञात हुआ कि 48 प्रतिशत महिलाएं घरेलू हैं, 52 प्रतिशत महिलाएं बेरोजगार हैं तथा 46 प्रतिशत महिलाओं की कोई आय नहीं अर्थात् घरेलू महिलाएँ गृहणी जो कामकाजी नहीं होती जिन्हें अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए पैसों का अभाव होता है जो बेरोजगार हैं, उनमें अपराध की प्रवृति अधिक पाई जाती है। महिलाओं की पारिवारिक स्थिति पर नज़र डालें तो 54 प्रतिशत महिलाएं संयुक्त परिवार से है। अतः संयुक्त परिवार में रहने वाली महिलाएं अधिक अपराध करती हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार में रहने वाली महिलाओं की मानसिक स्थिति असंतुलित होती हैं। उनका जीवन सिमटकर रह जाता है। सर्वेक्षण के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि 68 प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं। अतः विवाहित महिलाएं अन्य महिलाओं की अपेक्षा अधिक अपराध करती हैं। इन महिलाओं में नशे की प्रवृति देखे तो 82 प्रतिशत महिलाएं नशा करती हैं तथा नशे के प्रकारों में सबसे अधिक 28 प्रतिशत महिलाएं शराब का सेवन करतीं हैं।यदि हम अपराधी महिलाओं के प्रति समाज की प्रतिक्रिया देखें तब 58 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उनके प्रति समाज का व्यवहार अच्छा है। 54 प्रतिशत महिलाएं धार्मिक आस्था रखतीं हैं। 68 प्रतिशत महिलाएं सामाजिक रुढ़ियों और परंपराओं को मानती है ।महिलाओं की अपराधिक पृष्ठभूमि पर नज़र डालें तो सबसे अधिक 44 प्रतिशत महिलाएं हत्या के आरोप में बंदी हैं। अतः हत्या जैसे गंभीर अपराधों की प्रतिशत संख्या अन्य अपराधों से अधिक पाई गई। वहीं **22** प्रतिशत महिलाओं के अपराध का कारण पारिवारिक विवाद बना। अपराधी महिलाओं के अपराध की प्रेरणा देखें तो 36 प्रतिशत महिलाओं को अपराध की प्रेरणा मीडिया से मिली। अतः मीडिया से प्रभावित होकर महिलाओं ने अधिक अपराध किया। आंकड़ें यह भी बताते हैं कि सबसे अधिक 74 प्रतिशत महिलाओं को अपराध से संबंधित कानून की जानकारी नहीं है। 38 प्रतिशत महिलाएं मोबाइल व इंटरनेट का प्रयोग करतीं है वहीं 56 प्रतिशत अपराधी महिलाओं को टी.वी. देखने में रुचि है व 40 प्रतिशत महिलाओं को अखबार पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है। अतः मीडिया के अंग भी महिलाओं

में बढ़ती हिंसात्मक प्रवृति के जिम्मेदार है। महिलाओं को जब उन पर पश्चिमीकरण के प्रभाव के बारे में पूछा गया तब 64- 54 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उन्हें पश्चिमी सभ्यता प्रभावित करती है अर्थात् वहीं महिलाओं से यह पूछने पर कि जेल में उन्हें पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध है या नहीं। तब 56 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उन्हें सुविधाओं का अभाव है। इसी प्रकार यह पूछने पर कि अन्य अपराधी महिलाओं के साथ उनका संबंध कारागार में कैसा है? तब 58 प्रतिशत महिलाओं ने अन्य अपराधी महिलाओं से संबंध अच्छे होने की बात कहीं तथा 46 प्रतिशत महिलाओं को अपने बच्चों की चिंता सताती है। कारागार से छूटने के बाद जब महिलाओं की स्थिति को आंका गया तब 44 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि वे कारागार से छूटने के पश्चात् पति व बच्चों के पास रहेंगी। वहीं 56 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वे कारागार से छूटने के बाद सामान्य जीवन व्यतीत करेंगी तथा अपराधी महिलाओं से यह पूछने पर कि वे अन्य महिलाओं से क्या अपेक्षा करती हैं तो 50 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वे अन्य लोगों से सहानुभूति की अपेक्षा रखती है ।

सन्दर्भ :

1. भारद्वाज सुनीता "अपराधी महिलाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन" स्नाकोत्तर अन्वेष प्रबंध प.म.वि. गुजराती कला एवं विधि महाविद्यालय, इन्दौर, 1989
2. कृष्णा साही "अपराधी महिलाएं" समाज कल्याण पत्रिका, भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय से प्रकाशित जून, 1989
3. एम.ए. अंसारी "नारी चेतना और अपराध" जयपुर, पंचशील प्रकाशन, 1989
4. महाजन धर्मवीर तथा महाजन कमलेश, समाज एवं अपराध मेरठ: शिक्षा साहित्य प्रकाशन, 1992-93
5. सिंह, सीमा उत्तरप्रदेश में महिला अपराध - एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण, स्नाकोत्तर अन्वेष प्रबंध, आगरा विश्वविद्यालय, 1986
6. शर्मा सुनीता "अपराधी महिलाएं और समाज" नई दिल्ली राधा पब्लिकेशन्स 2001
7. डॉ . सिंह निशांत "महिलाएं और अपराध" साहित्य प्रकाशन, 2012
8. नंदा वर्तिका "तिनका-तिनका तिहाड़ एक संवेदनशील पुस्तक" विमला मेहरा, संपादन, 2014
9. Ahuja Ram, "Female Morder's in India", Meerut : Meenakshi Prakashan 1969
10. Altekar, A.S. "The Prostitution of Woman Hindu Civilisation : The Culture", Publication House, B.H.U. 1938
11. Otto Pollak : "The Criminality of Woman", New York, 1950
12. Panakal J.J. "Posituion in India in Indian Journal of Criminology", Vol. 2 1974
13. Kellor, Frances, "Criminal Sociology Criminality Among Woman", 1900
14. Ghosh, S.: "Female Criminals in India", New Delhi Uppal Publishingn Housing House, 1986.
15. Govt. of India, Crime in India 1990, New Delhi National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs 1991.

•